

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 1999

विषय : फ़िल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फ़िल्म नीति, 1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर आवास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2206 / 9-आ-3-99-50 वि० / 99, दिनांक 27-5-99 एवं तत्काल में निर्गत शासनादेश संख्या-2235 / 9-आ-3-99-42 वि० / 99, दिनांक 31-5-99 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. शासनादेश दिनांक 31-5-99 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-5-99 में उल्लिखित शासनादेश संख्या-2235 / 9-आ-3-99-42 विविध / 99, दिनांक 27-5-99 के स्थान पर शासनादेश संख्या-2206 / 9-आ-3-99-50 वि० / 99, दिनांक 27-5-99 पढ़ा जाय। पूर्व निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या-2829(1) / 9-आ-3- / 99 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, संरथागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. औद्योगिक विकास विभाग-6, कर एवं संरथागत वित्त अनुभाग-6।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र दिनांक 29-5-99 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।